रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2001/भाद्र 6, 1923
No. 234] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2001/BHADRA 6, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2001

विषय : भारत में इटली से एक्रिलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 43/1/2001-डी.जी.ए.डी.— मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, चंडीगढ़ ; मैसर्स कंसोलिडेटड फाइबर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कोलकाता ; मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड, नई दिल्ली तथा फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर, नई दिल्ली ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथ संग्रहण एवं क्षति निर्धारित) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें इटली मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम) के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

शामिल उत्पाद

2. वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद एक्रिलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम का) (1.65 डी

एक्स) है । एक्रिलिक फाइबर, सिंथटिक पॉलिमर की एक लम्बी श्रृंखला है जो भार द्वारा कम से कम 90% एक्रिलोनाइट्रिल युनिटों से बना होता है । एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक-टो अथवा एक्रिलिक-टॉप हो सकता है । वाणिज्यिक बोलचाल में, एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक-टो और एक्रिलिक -टॉप, को एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है ।

एक्रिलिक फाइबर का विभिन्न श्रेणियों में उत्पादन किया जाता है जिसे इसकी डेनियर (डी.एक्स.) के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, तथापि, 1.5 डेनियर (1.65 डी.एक्स.) वह उत्पाद है जो मौजूदा याचिका में विचाराधीन है क्योंकि 1.5 डेनियर और इससे ऊपर के उत्पाद पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लग रहा है ।

डेनियर, एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति है जो एक प्रकार के फाइबर को दूसरे प्रकार के फाइबर से अलग करके दर्शाती है और इस पद्धति का उपयोग एक्रिलिक फाइबर, सिल्क और मानवनिर्मित फिलामेन्ट यार्न का वर्णन करने में किया जाता है ।

एक्रिलिक फाइबर, मंहगी ऊन के लिए एक किफायती अनुकल्प है । एक्रिलिक फाइबर की मानव जीवन के दैनिक उपयोग में प्रयोजनीयता है ।

एक्रिलिक फाइबर (जिसमें 'टो' , 'टॉप' , 'स्टेपल' शामिल हैं) को उपशीर्ष 5501.3000, 5503.3000 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, सीमाशुल्क के ये वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के मामले में बाध्यकारी नहीं हैं ।

घरेलू उद्योग

3. यह याचिका मैसर्स इण्डियन एक्रिलिक लिमिटेड, चंडीगढ़ ; मैसर्स कंसोलिडेटड फाइबर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, कोलकाता ; मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड, नई दिल्ली तथा फोरम ऑफ एक्रिलिक फाइबर, नई दिल्ली द्वारा दायर की गई है । एक्रिलिक फाइबर के कुल घरेलू उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा 50% से अधिक है और इसलिए वह उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) (क) की शर्तों के अनुसार याचिका दायर करने की मूलभूत शर्तों को पूरा करता है ।

शामिल देश

4. याचिकाकर्ता ने इटली (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित शामिल उत्पाद के पाटन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं ।

समान वस्तु

5. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु इटली मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । अतः जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर सम्बद्ध देश से आयातित शामिल उत्पाद अर्थात एक्रिलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम) (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है ।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने प्रशासन, बिक्री लागत तथा लाभों के लिए उचित समायोजन करके सम्बद्ध वस्तु की परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक्रिलिक फाइबर (1.5 डेनियर से कम) के सामान्य मूल्य के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए गए है ।

निर्यात कीमत

7. याचिकाकर्ताओं ने सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । याचिकाकर्ता ने सम्बद्ध वस्तु के संबंध में डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशित आंकड़ों को निर्यात कीमत के लिए आधार बनाया है । कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए भाडे., बीमें, कमीशन, सामान को लादने के कारण समायोजनों का दावा किया है ।

पाटन मार्जिन

8. इस बात का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत (कारखाना द्वारा स्सयतर पर) से काफी अधिक है, जो प्रथम दृष्ट्या यह इंगित करता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्ड जैसे बाजार हिस्से में गिरावट, बिक्री में गिरावट, बिक्री वसूली में गिरावट, संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से निष्पक्ष एवं उचित कीमत प्राप्त करने में घरेलू उद्योग की हानि में वृद्धि सामूहिक तथा संयची रूप से प्रथम दृष्टया यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाठन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

पाटनरोधी जांच का आरंभ

10. उपरोक्त पैराग्राफ को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

जांच की अवधि (पो ओ आई)

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की है ।

सूचना देना

12. संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में आयातकों जिनके इससे संबंधित होने की जानकारी है, को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित रूप में तथा

निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 को भेज दें । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि की सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित प्रपत्र में जांच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है ।

समय सीमा

13. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

14. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी इच्छुक पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2001

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning import of Acrylic Fibre (below 1.5 denier) from Italy into India.

No. 43/1/2001-DGAD.— M/s Indian Acrylic Ltd., Chandigarh, M/s Consolidated Fibre and Chemicals Ltd., Calcutta, M/s Pasupati Acrylon Ltd., New Delhi and the Forum of Acrylic Fibre, New Delhi have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and

Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Acrylic Fibre (below 1.5 denier) originating in or exported from Italy and requested for Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

PRODUCT INVOLVED

2. The product under consideration in the present petition is Acrylic Fibre below 1.5 denier (1.65 DX). Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units. Acrylic fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. Acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.

Acrylic Fibre is produced in various grades, which are defined in terms of its Denier (DX), however, below 1.5 denier (1.65 DX) is the product under consideration in the present petition as 1.50 denier to 8.00 are already attracting Anti Dumping Duty.

Denier is the international system to differentiate one Fibre type to another and is used in describing acrylic Fibre, silk and man-made filament yarn.

Acrylic Fibre is an economical substitute for expensive wool. Acrylic Fibre has application in day-to-day human life use. Acrylic Fibre has a variety of applications in apparel, household and industrial areas.

Acrylic Fibre (which includes tow, top, staple) is classified under Chapter 55 of the Custom Tariff Act under subheads 5501.3000, 5503.3000. Custom classifications are however indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY

3. The petition has been filed by Forum of Acrylic Fibre Manufacturers, New Delhi M/s Indian Acrylic Ltd., Chandigarh, M/s Consolidated Fibre and Chemicals Ltd., Calcutta and M/s Pasupati Acrylon Ltd., New Delhi. The petitioners' account for more than 50% proportion of total Indian production, thus, satisfy the standing to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED

4. The country involved in the present investigation is Italy (hereinafter referred to as the subject country).

LIKE ARTICLE

5. The petitioners have claimed that the goods produced by them is like articles to the goods produced, originating in or exported from Italy. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like article' of the product involved i.e. Acrylic Fibre (below 1.5 denier) (hereinafter referred to as subject goods) imported from the subject country within the meaning of the Rules supra.

NORMAL VALUE

6. The petitioners have claimed Normal Value based on the basis of prices of Acrylic Fibre in the domestic market of Italy.

EXPORT PRICE

7. The petitioners have produced prima facie evidence as regards the export price of the subject goods. The petitioners have based the export price on the published data of DGCI&S in respect of the subject goods. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses and inland freight to arrive at the Export Price at ex-factory level.

DUMPING MARGIN

8. There is sufficient prima-facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by exporters from the Italy..

INJURY AND CAUSAL LINK

9. Various parameters relating to injury, prima-facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping from Italy..

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATIONS

10. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the Italy.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2000 to 31st March 2001.

SUBMISSION OF INFORMATION

12. The exporters in Italy and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT

13. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

14. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.